नया रायपुर, दिनांक 8 अगस्त 2014

अधिसूचना

क्रमांक एफ. 9-41/2013/ज.नि./42.-छत्तीसगढ़ राज्य कौशल विकास प्राधिकरण द्वारा छत्तीसगढ़ युवाओं के कौशल विकास के अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 17 सन् 2013) की धारा 27 की उपधारा (2) सहपठित धारा 19 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए बनाये गये निम्नलिखित विनियम एतद्द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किये जाते हैं।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अमृता बेक, उप-सचिव.

छत्तीसगढ़ राज्य कौशल विकास प्राधिकरण (जिला कौशल विकास निधि) विनियम, 2014

1. संक्षिप्त नाम, प्रयुक्ति तथा प्रारंभ

1.1 ये विनियम छत्तीसगढ़ राज्य कौशल विकास प्राधिकरण (जिला कौशल विकास निधि) विनियम, 2014 कहलायेंगे।

1.2 ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रभावी होंगे।

1.3 जिला कौशल विकास निधि, जिसे इसमें इसके पश्चात् जिला निधि निर्दिष्ट किया गया है, के संचालन एवं संधारण की रीति ऐसी होगी जैसी इन विनियमों में उपबन्धित है।

2. जिला कौशल विकास निधि

2.1 छत्तीसगढ़ युवायों के कौशल विकास का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 17 सन् 2013), जिसे इसमें इसके पश्चात् अधिनियम निर्दिष्ट किया गया है, की धारा 19 में विनिर्दिष्ट स्त्रोतों से निधि हेतु प्राप्त धनराशियां भारतीय रिजर्व बैंक, 1934 (क्रमांक 2 सन् 1934) की दूसरी अनुसूची में सम्मिलित किसी भी बैंक में खोले गये एक या अधिक खातों में जमा की जायेगी :

परन्तु यह कि जिला प्राधिकरण नगद में एक अग्रदाय खाते का संधारण कारित कर सकेगा, जिसका संधारण एवं संचालन राज्य सरकार में अग्रदाय खातों को शासित करने वाले उपबन्धों के अनुरूप, यथा आवश्यक उपातंरणों सहित, किया जायेगा।

2.2 ऊपर विनियम 2.1 में यथा उपबन्धित कोई खाता जिला प्राधिकरण के अध्यक्ष और सदस्य-सचिव द्वारा संयुक्ततः किया जायेगा :

परन्तु यह कि जिला प्राधिकरण, उसके अध्यक्ष की अनुशंसा पर, ऐसे संयुक्त खाते को संचालित करने के लिए अध्यक्ष के स्थान पर मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत को प्राधिकृत कर सकेगा।

2.3 जिला प्राधिकरण के लेखाओं का वार्षिक वित्तीय विवरण, जिसमें प्राधिकरण के वित्तीय वर्ष के लिए वार्षिक वित्तीय प्राक्कलन सम्मिलित होंगे, संबंधित वित्तीय वर्ष के प्रारंभ के पहले तैयार और अनुमोदित किया जायेगा :

परंतु यह कि, इन विनियमों में किसी बात के होते हुए भी, जहां जिला प्राधिकरण संतुष्ट हो कि ऐसी स्थिति निर्मित हुई है जिसमें ऐसा करने की आवश्यकता है, वह मुख्य कार्यपालन अधिकारी को किसी वित्तीय वर्ष के भाग के लिए प्राक्कलित व्यय के संबंध में लेखाओं के वार्षिक वित्तीय विवरण के अनुमोदन के लिए अधिनियम के अधीन विहित प्रक्रिया पूर्ण होने तक निधि से अग्रिम आहरण प्राधिकृत करने की अनुशंसा कर सकेगा, और ऐसी अनुशंसा की प्राप्ति पर मुख्य कार्यपालन अधिकारी उसे स्वीकृत या अस्वीकृत कर सकेगा, अथवा उसे ऐसे उपांतरणों सहित स्वीकृत कर सकेगा जैसे वह उचित माने :

परंतु यह कि, पूर्ववर्ती परंतुक के अधीन प्रत्येक स्वीकृति मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा कार्यकारिणी समिति की अगली बैठक में रखी जायेगी, और कार्यकारिणी समिति को स्वीकृति में ऐसे उपांतरण करने की शक्ति होगी जैसे वह उचित माने।

2.4 निधि से भुगतान धनराशि की उपलब्धता और लेखाओं के वार्षिक वित्तीय-विवरण में प्रावधान अथवा ऊपर विनियम 2.3 के परंतुक के अधीन प्राधिकार, के अध्यधीन होंगे, और व्यय के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा दी गई स्वीकृति के अनुरूप किये जाएंगे :

परन्तु यह कि, लेखाओं के वार्षिक वित्तीय-विवरण में पर्याप्त प्रावधान का अभाव होते हुए भी, जहां जिला प्राधिकरण के अध्यक्ष (जिसे यहां इसके आगे "अध्यक्ष" निर्दिष्ट किया गया है) की राय में अधिनियम के प्रयोजनों के क्रियान्वयन के हित में किसी व्यय को स्वीकृत करने के लिए तत्काल निर्णय लिया जाने की स्थिति निर्मित हो गई है, वह ऐसा व्यय स्वीकृत कर सकेगा और ऐसी स्वीकृति को अनुसमर्थन और लेखाओं के वार्षिक वित्तीय विवरण में उपयुक्त प्रावधान करने के लिए जिला प्राधिकरण के समक्ष उसकी अगली बैठक में रखवायेगा।

2.5 जहां किसी कारण उपगत किया जाने वाला कुल व्यय रुपये दो लाख से अनधिक है, अध्यक्ष उसे स्वीकृत करने के लिए सक्षम प्राधिकारी होगा।

2.6 जहां किसी कारण उपगत किया जाने वाला कुल व्यय रुपये दो लाख से अधिक है, कार्यकारिणी समिति उसे स्वीकृत करने के लिए सक्षम प्राधिकारी होगी :

परन्तु यह कि जहां किसी कारण उपगत किया जाने वाला कुल व्यय रुपये दस लाख से अधिक है, मुख्य कार्यपालन अधिकारी का अनुमोदन भी आवश्यक होगा।

2.7 जिला प्राधिकरण लेखाओं का संधारण, लेखाओं के वार्षिक वित्तीय विवरण की तैयारी, और छत्तीसगढ़ राज्य कौशल विकास प्राधिकरण (जिसे यहां इसके आगे "राज्य प्राधिकरण" निर्दिष्ट किया गया है) को प्रतिवेदनों और विवरणियों की प्रस्तुति राज्य प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर जारी अनुदेशों और निदेशों के अनुरूप करेगा।

2.8 राज्य प्राधिकरण कभी भी किसी जिला निधि के लेखाओं की परीक्षा के लिए वैधानिक संपरीक्षक नियुक्त कर सकेगा।

2.9 किसी जिला निधि के बेहतर संचालन और संधारण के लिए राज्य प्राधिकरण ऐसे निदेश दे सकेगा जैसे वह उचित माने।

Naya Raipur, the 8th August 2014

NOTIFICATION

No. F. 9-41/2013/MPP/42.— The following Regulations made by the Chhattisgarh State Skill Development Authority, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 27 read with section 19 of the Chhattisgarh Right of Youth to Skill Development Act, 2013 (No. 17 of 2013), are hereby published for information of the public.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
AMRITA BECK, Deputy Secretary.

Chhattisgarh State Skill Development Authority (District Skill Development Fund) Regulations, 2014

1. Short title, application and commencement

1.1 These Regulations may be called Chhattisgarh District Skill Development Authority (District Skill Development Fund) Regulations, 2014.

1.2 These shall take effect from the date of their publication in the Official Gazette.

1.3 The manner of maintenance and operation any District Skill Development Fund, hereinafter referred to as District Fund, shall be as provided in these Regulations.

2. District Skill Development Fund

2.1 The moneys received for the District Fund from the sources specified in section 19 of the Chhattisgarh Right of Youth to Skill Development Act, 2013 (No. 17 of 2013), hereinafter referred to as the Act, shall be credited to one or more accounts opened in any of the banks included in the Second Schedule of the Reserve Bank of India Act, 1934 (No. 2 of 1934):

Provided that the District Authority may cause to be maintained an imprest account in cash, which shall be maintained and operated in accordance with, *mutatis mutandis,* the provisions governing imprest accounts in the State Government.

2.2 Any account as provided for in Regulation 2.1 above shall be operated jointly by the Chairperson and the Member-Secretary of the District Authority:

Provided that the District Authority may, on the recommendation of its Chairperson, authorise the Chief Executive Officer of the Zila Panchayat to operate such joint account in place of the Chairperson.

2.3 The Annual Financial Statement of Accounts of the District Authority, which shall include the annual financial estimates of the District Authority for the financial year, shall be prepared and approved before commencement of the corresponding financial year:

Provided that, notwithstanding the requirement above, the District Authority shall have the power to recommend to the Chief Executive Officer authorisation for appropriation from the District Fund in advance in respect of the estimated expenditure for a part of any financial year pending the completion of the procedure prescribed under the Act for approval of the Annual Financial Statement of Accounts, where it is satisfied that the situation so demands, and upon receipt of such recommendation the Chief Executive Officer may either approve or not approve the same, or approve it with such modifications as he may deem fit:

Provided further that any approval under the preceding proviso shall be laid by the Chief Executive Officer before the Executive Committee at its next meeting, and the Executive Committee shall be competent to make such modifications to the approval as it may deem fit.

2.4 Payments from the District Fund shall be subject to the availability of funds and provision in the Annual Financial Statement of Accounts, and shall be made as per sanction accorded for expenditure by the authority competent to do so:

Provided that, notwithstanding absence of adequate provision in the Annual Financial Statement of Accounts, where in the opinion of the Chairperson of the District Authority (hereinafter referred to as the "Chairperson") the situation demands that immediate decision be taken on sanctioning any expenditure in the interest of carrying out the purposes of the Act, he may sanction such expenditure and cause such sanction to be laid, for ratification and making suitable provision and modification in the Annual Financial Statement of Accounts, before the District Authority at its next meeting.

2.5 In case the total expenditure to be incurred on any account is not in excess of Rupees two lakhs, the Chairperson shall be the authority competent to sanction the same.

2.6 In case the total expenditure to be incurred on any account exceeds Rupees two lakhs, the District Authority shall be the authority competent to sanction the same:

Provided that in case the total expenditure to be incurred on any account is in excess of Rupees ten lakhs, the approval of the Chief Executive Officer for sanction would also be required.

2.7 The District Authority shall maintain accounts, prepare Annual Financial Statement of Accounts, and submit reports and returns to the Chhattisgarh State Skill Development Authority (hereinafter referred to as the State Authority) in accordance with instructions and directions issued from time to time by the State Authority.

2.8 The State Authority may, at any time, appoint a statutory auditor for audit of the accounts of any District Fund.

2.9 The State Authority may issue such directions as it may deem fit for better operation and maintenance of any District Fund, for carrying out the purposes of the Act.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2014.